मु0न0:— 04/2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू:— 14.06.2023

मु0न0 04/23

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. भगवानसहाय पुत्र गिर्राज
2. श्रीमन पुत्र गिर्राज
3. अंगूरी पुत्री गिर्राज
4. कलावती पुत्री गिर्राज
5. लोहडसी पुत्री गिर्राज
6. छोटी देवी पत्नि गिर्राज

समस्त जातियान मीना निवासी जैसनी तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थी)

बनाम

1. सूक्या पुत्र रामधन
2. रामकुंवार पुत्र राजाराम
3. किशन पुत्र केशूराम
4. गोपी पुत्र रामलाल
5. श्रीमन पुत्र भजनी

समस्त जातियान मीना निवासी जैसनी तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी

उपस्थिति :— श्री कृष्ण कुमार मित्तल (प्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक:— 29.05.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेंप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जैसनी के ख0न0 925/0.58, 931/0.35, 936/0.41 है0 हिस्सा सम्पूर्ण तथा 932/0.12 है0 हिस्सा 1/2 का सीमाज्ञान तहसीलदार व पटवारी हल्का तथा गिरदावर ने दिनांक 30.05.2023 को करा दिया है तथा फीता व जी.पी.एस मशीन चलाकर इस भूमि का सीमा चिन्हीकरण कर निशानात कायम किये गये तथ खेतो की सीमाऐं समझाई गई। अप्रार्थीगण पत्थर गढी करने मे अडचन पैदा करते है। प्रार्थीगण दिनांक 30.05.2023 को ही सीमा होने के पश्चात पत्थर गढी करने की तैयारी कर थे तब अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पास आये और पत्थर गढी नही करने दी तथा झगडा करने की धमकी दी। प्रार्थीगण ने इनको काफी समझाया लेकिन नही माने और झगडा करने पर उतारू हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति [illegible] मौके पर उक्त आराजी की सीमाओ को लेकर झगडा होने की संभावना है ऐसी [illegible] का सीमाज्ञान पुलिस इमदाद से करवाया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जैसनी की खातेदारी आराजी ख0न0 925/0.58, 931/0.35, 936/0.41 है0 हिस्सा पूर्ण तथा ख0न0 932 रकवा 0.12 है0 हिस्सा 1/2 का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2023 के पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम व थानाधिकारी टोडाभीम को फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:54:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। ग्राम जैसनी के ख0न0 925/0.58, 931/0.35, 936/0.41 है0 हिस्सा सम्पूर्ण तथा 932/0.12 है0 हिस्सा 1/2 का सीमाज्ञान तहसीलदार व पटवारी हल्का तथा गिरदावर ने दिनांक 30.05.2023 को करा दिया है तथा फीता व जी.पी.एस मशीन चलाकर इस भूमि का सीमा चिन्हीकरण कर निशानात कायम किये गये। अतः दिनांक 30.05.2023 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थर गढी करने के आदेश दिये जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत पत्रावली मे शामिल फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30.05.2023 का अवलोकन किया जिसमे ग्राम ग्राम जैसनी की आराजी ख0न0 925, 931, 936,932 का सीमाज्ञान राजस्व कार्मिको की टीम के द्वारा आवेदक (प्रार्थी) की उपस्थिति मे सीमाज्ञान किया गया है। चुकि उक्त खसरा नम्बरान का प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा मुताबिक सीमाज्ञान ही प्रार्थीगण पत्थर गढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात की पत्थर गढी करवाये जाने से उनको कोई आपत्ति होना प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा किये जाने पर ग्राम जैसनी की आराजी ख0न0 925, 931, 936, 932 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थर गढी करवाये। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उप जिला कलक्टर
(सुनीता मीना)
...जिला गंगापुर सिटी
...उपखण्ड मजिस्ट्रेट कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:54:30 IST
Reason: SelfAttested